Commercial Engineers & Body Builders Co. Limited

CEBBCO
...bodies in motion ...

CIN-L28100MP1979PLC049375

Regd. Office: 48, Vandana Vihaar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) INDIA
Email Id – cs@cebbco.com, Website – www.cebbco.com, Tel – 0761-2661336

Date – 24 May 2021

To,
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Fax No. 022-2272 3121/2272/2037

BSE Security Code: 533272

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
'Exchange Plaza', 5th Floor,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400 051

NSE Symbol: CEBBCO

Dear Sir/ Madam

Sub.: Newspaper Publication / Advertisement of Notice of the National Company Law Tribunal Convened Meetings of the Secured Creditors, Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Amalgamated Company to be held on 25 June 2021 ("Notice") pursuant to the order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper notice / advertisement published on 23 May 2021 in the newspaper *viz.* Financial Express (in English) and Raj Express (in Hindi) w.r.t. Notice of the Hon'ble National Company Law Tribunal convened Meetings of the Secured Creditors, Unsecured Creditors and Equity Shareholders of Commercial Engineers & Body Builders Co Limited to be held on Friday, 25 June 2021 through video conferencing/other audio-visual means.

We request you to kindly take the above on record.

Yours faithfully,
For Commercial Engineers & Body Builders Co. Limited

Deepesh Kedia
Company Secretary

Godrej Industries Limited

CIN : L24241MH1988PLC097781
Regd Office: Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (E), Mumbai - 400 079.
Tel. : 022-25188010 / 20 / 30; Fax : 022- 25188066
website : www.godrejindustries.com,Email Id: investor@godrejinds.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31-Mar-21 Audited (refer note 11)	31-Dec-20 Unaudited	31-Mar-20 Audited Restated (refer note 4 and 11)	31-Mar-21 Audited	31-Mar-20 Audited Restated (refer note 4)
Total Income from Operations	2,610.69	2,356.47	3,120.67	9,333.51	11,290.75
Net Profit / (loss) from continuing operations for the period (before Tax, Share of Profit of Equity Accounted Investees, Exceptional and / or Extraordinary items #)	(28.53)	82.96	190.48	263.47	658.06
Net Profit / (loss) from continuing operations for the period before Tax and Share of Profit of Equity Accounted Investees (after Exceptional and / or Extraordinary items #)	(28.53)	82.96	180.56	263.47	648.14
Net Profit / (loss) from continuing operations after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items #)	(92.22)	170.66	104.06	389.65	637.85
Net Profit/(loss) from discontinued operations after Tax	-	-	(0.67)	1.27	173.67
Net Profit /(loss) After Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items #) attributable to the owners of the Company	(15.81)	131.93	26.55	334.57	553.81
Total Comprehensive Income /(loss) for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax) attributable to the owners of the Company	(35.26)	137.08	43.93	298.24	602.42
Paid-up Equity Share Capital (Face value - ₹. 1 per share)	33.66	33.65	33.65	33.66	33.65
Reserves excluding Revaluation Reserve as shown in the audited Balance Sheet				7,519.58	5,754.68
Earnings per share (In ₹.) (Not Annualised)					
For Continuing operations					
(a) Basic	(0.47)	3.92	0.84	9.90	11.30
(b) Diluted	(0.47)	3.92	0.84	9.90	11.30
For Discontinued operations					
(a) Basic	-	-	(0.02)	0.04	5.16
(b) Diluted	-	-	(0.02)	0.04	5.16
For Continued and Discontinued operations					
(a) Basic	(0.47)	3.92	0.82	9.94	16.46
(b) Diluted	(0.47)	3.92	0.82	9.94	16.46

Exceptional items are adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS.

Key numbers of Audited Standalone Financial Results

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31-Mar-21 Audited (refer note 11)	31-Dec-20 Unaudited	31-Mar-20 Audited (refer note 11)	31-Mar-21 Audited	31-Mar-20 Audited
Turnover (Net Sales)	547.55	503.70	466.18	1,855.53	1,968.72
Profit / (Loss) before Tax and Exceptional items	(41.51)	(34.89)	1.63	(108.87)	56.31
Exceptional Items	-	-	(0.67)	1.27	(25.62)
(Loss) / Profit Before Tax	(41.51)	(34.89)	0.96	(107.60)	30.69
(Loss) / Profit After Tax	(41.45)	(34.89)	1.08	(107.54)	30.81
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)	(39.66)	(34.94)	(0.43)	(106.78)	28.85
Paid up Equity Share Capital	33.66	33.65	33.65	33.66	33.65
Reserves (excluding Revaluation Reserves)				1,492.64	1,596.99
Capital Redemption Reserve					31.46
Debenture Redemption Reserve					-
Net worth				1,448.59	1,552.93
Outstanding Net Debt				2,963.13	2,532.21
Debt/Equity Ratio				1.94	1.55
Debt Service Coverage Ratio				0.84	0.63
Interest Service Coverage Ratio				0.84	1.48
Earning per Equity Share (EPS):-					
Basic EPS	(1.24)	(1.04)	0.03	(3.20)	0.92
Diluted EPS	(1.23)	(1.04)	0.03	(3.19)	0.92

Notes:

1) The above audited financial results which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 52(4) as per SEBI circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS/CIR/P/2019/115 dated 22 October 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on May 21, 2021. The financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder. These results have been audited by the Statutory Auditors of the Company who have issued unmodified audit reports thereon.

2) (i) The Company, consequent to the approvals received from the Board of Directors on May 17, 2019 and from the shareholders on June 25, 2019 consummated the sale of Natures Basket Limited (NBL) a wholly owned subsidiary of the Company to Spencer's Retail Limited (SRL) on July 04, 2019. Consequently, considering the provisions of Share Purchase Agreement (SPA) dated 17 May 2019 between the Company, NBL and SRL, ₹ 25.62 crore was recorded under exceptional items in the standalone financial results for the year ended March 2020. During the year ended March 31,2021 exceptional gain of ₹ 1.27 crore is recorded due to recoveries from SRL pursuant to the SPA.
(ii) On completion of Sale Transaction of NBL, the Group recognised net profit of ₹ 200.94 crore under exceptional items in the consolidated Financial Results during the year ended March 2020. During the year ended March 31,2021 exceptional gain of ₹ 1.27 crore is recorded due to recoveries from SRL pursuant to the SPA.
(iii) NBL had been classified as discontinued operations in the consolidated financial results.

3) During the previous financial year, with the outbreak of COVID-19 pandemic, the business of Godrej Tyson Foods Limited, a sub-subsidiary company, was adversely impacted in sales and profitability. The last few weeks of the previous financial year witnessed a sharp drop in prices as well as demand for poultry and related products on account of false rumours linking COVID-19 to poultry consumption . This necessitated the subsidiary to take certain exceptional measures to mitigate losses on account of which inventory to the tune of ₹ 3 crore had to be destroyed and written off. The crash in prices towards end of March 2020 required the subsidiary to recognise a loss of ₹ 6.92 crore in respect of fair valuation of biological assets. This total loss disclosed under exceptional item is ₹ 9.92 crores for financial year 2019-20.

4) The National Company Law Tribunal Mumbai Bench has, vide order dated September 14,2020, sanctioned a Scheme of Arrangement ('the Scheme') of Wonder Space Properties Private Limited (subsidiary of Godrej Properties Limited with effect from April 05, 2019) with Godrej Properties Limited. The effective date of the Scheme is April 05,2019. In accordance with the requirements of Para9(iii) of Appendix C of Ind AS 103, the consolidated financial results of the Group in respect of prior periods have been restated from effective date. Increase / (Decrease) in previous periods published numbers are as below:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Quarter ended 31-Mar-20	Year ended 31-Mar-20
Profit before tax for the period / year attributable to		
a) Owners of the Company	0.96	0.96
b) Non-Controlling Interest	0.99	0.99
Profit after tax for the period / year attributable to		
a) Owners of the Company	0.65	1.63
b) Non-Controlling Interest	0.66	1.68
Net Worth		1.63
Non Controlling Interest		1.68
Total Assets		(15.83)

5) The year ended March 31, 2021 was an unprecedented period due to the spread of COVID-19 pandemic across the globe, adversely impacting sales performance of the Group. While the operations have resumed for manufacturing locations in compliance with Government directives since April, 2020, the Group continues to closely monitor the situation and take appropriate action, as considered necessary in due compliance with the applicable regulations. As per the Group's current assessment, no significant impact on carrying amounts of inventories, goodwill, intangible assets, trade receivables, investments and other financial assets is expected, and we continue to monitor changes in future economic conditions. The eventual outcome of the impact of the global health pandemic may be different from those estimated as on the date of approval of these financial results.

6) During the quarter ended September 30, 2020 the Company has issued 7,500 Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (NCD) of face value ₹ 10 lac each and during quarter ended December 31,2020, the Company has issued 7,500 Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (NCD) of face value ₹ 10 lac each. The total value of NCD is ₹ 1500 crore. The NCD are listed on National Stock Exchange.

7) I) The Company on March 25, 2021 acquired 20000 equity shares in Pyxis Holdings Limited. Consequent to the said acquisition, Pyxis Holdings Limited has become the subsidiary of the Company.
ii) During the quarter ended September 30,2020, the Group has sold its equity stake in Astec Europe Sprl (subsidiary of Astec Lifescience Limited) at a consideration of Euro 1.
iii) An application has been made to the RBI on April 5, 2021 to seek its approval for change in shareholding and change in Directors of Ensemble Holdings & Finance Limited (a subsidiary of the Company) by virtue of proposed transfer of shares from its existing shareholders (i.e. Godrej Industries Limited and its nominees) to Pyxis Holdings Limited, a subsidiary of the Company. The applications is under process with the RBI.

8) During the quarter ended March 31, 2021, Employee Benefits expense includes provision for long term incentive for certain eligible employees for one of the subsidiary amounting to ₹ 121.11 crore recorded on achievement of certain parameters as at March 31, 2021 and certain parameters expected to be achieved during the financial year 2021-22 and 2022-23, as per the long term incentive scheme in accordance with the accounting standards. This long term incentive is payable in financial year 2022-23 and 2023-24, subject to fulfilment of all the defined parameters and therefore the provision is recorded at its present value.

9) During the current year, the managerial remuneration provided by Godrej Properties Limited (subsidiary of the Company), in relation to its Managing Director & CEO is in excess of the limits laid down under section 197 of the Companies Act, 2013, read with Schedule V to the Act by ₹ 37.94 crore. The subsidiary company has already obtained the shareholder's approval for ₹ 15 crore. The subsidiary company is in process of obtaining approval for making provision of ₹ 40 crore towards long term incentive for financial year 2020-2021 from i t s shareholders at the forthcoming annual general meeting, which will be payable during the financial year 2022-23 and 2023-24.

10) A new section 115BAA was inserted in the Income Tax Act, 1961, by The Government of India on September 20, 2019 vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 which provides an option to companies for paying income tax at reduced rates in accordance with the provisions/conditions defined in the said section. Accordingly:
(i) The Company has elected to exercise the option, and has recognised provision for income tax for the year ended March 31, 2021 and re-measured its deferred tax balances on the basis of the rate prescribed in the said section.
(ii) Godrej Properties Limited a subsidiary company along with its certain wholly owned step-down subsidiaries have elected to exercise the option for the year ended March 31, 2021. The tax expense for the quarter ended increased by Rs 81.21 crore due to said change.
(iii) Godrej Agrovet Limited a subsidiary company elected to exercise this option during the previous financial year ended March 31, 2020.

11) The figures for the quarter ended 31st March 2021 and 31st March 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published unaudited year to date figures upto the end of the third quarter of the relevant financial year.

12) Figures for the previous periods/year have been regrouped / restated wherever necessary to facilitate comparison.

By Order of the Board
For **Godrej Industries Limited**

Place: Mumbai
Date : May 21, 2021

N. B. Godrej
Managing Director
DIN: 00066195

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.

CIN: L28100MP1979PLC049375
Regd. office : 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
INDORE BENCH AT AHMEDABAD
C.A.(CAA)/8 (MP) 2021

In the matter of:
The Companies Act, 2013 - Sections 230 to 232 of the said Act and Rules made thereunder

And

COMMERCIAL ENGINEERS & BODY BUILDERS CO LIMITED, having CIN L28100MP1979PLC049375 a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur – 482001, Madhya Pradesh. ...Applicant/ Transferee/Amalgamated Company

And

JUPITER WAGONS LIMITED, having CINU35202WB2006PLC110822, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 4/2, Middleton Street Kolkata – 700071, West Bengal. ....Transferor/Amalgamating Company

Notice and Advertisement of notice of the meeting of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders

Notice is hereby given that by an Order dated 16th April 2021, the National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad ('NCLT') has directed separate meetings to be held of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement proposed in the Scheme of Amalgamation between Commercial Engineers & Body Builders Co Limited and Jupiter Wagons Limited and their respective shareholders and creditors (hereinafter, the **"Scheme"**) pursuant to Section 230-232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions thereof and rules made thereunder.

In pursuance of the said Order and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 **("the Act")** read with Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and by following the operating procedures (with requisite modifications as may be required) read with General Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020, No.17/2020 dated 13 April 2020, No.22/2020 dated 15 June 2020, No.33/2020 dated 28 September 2020 and No.39/2020 dated 31 December 2020 (hereinafter referred to as the **'MCA Circulars'**) and Circulars being No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (hereinafter referred to as the **'Circulars issued by SEBI'**) further notice is hereby given that a separate meetings of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company will be held on Friday 25th day of June 2021, through Video Conference ('VC') and Other Audio Visual Means ('OAVM') as per details mentioned below, without the physical attendance at a common venue.

Sl. No.	Class of Meeting	Time (IST)
1	Secured Creditors	11:00 a.m. (1100 HRS) IST
2	Unsecured Creditors	01:00 p.m. (1300 HRS) IST
3	Equity Shareholders	03:00 p.m. (1500 HRS) IST

The Notice dated 15th May, 2021, the Scheme and the explanatory statement under Sections 230(3), 232(1) and (2) and 102 and other applicable provisions of Companies Act 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and along with the enclosures as indicated in the Index (collectively referred to as "Particulars"), have already been sent (i) through electronic mode to those Equity Shareholders whose e-mail IDs are registered with the Applicant Company/Depository Participants; and (ii) through registered post or speed post or courier, physically, to those Equity Shareholders who have not registered their e-mail IDs with the Applicant Company. The aforesaid Particulars are being sent to all the equity shareholders whose names appear in the register of members/list of beneficial owners on Friday, February 26,2021.In case e-mail IDs of Equity Shareholders are not registered with Company / Depository Participants, the Equity Shareholders of the Company are requested to follow the instructions provided in this Notice below.

The aforesaid Particulars are being sent (i) through electronic mode to those Unsecured Creditors, Secured Creditors whose e-mail IDs are registered with the Applicant Company; and (ii) through registered post or speed post or courier, physically, to those Unsecured Creditors, Secured Creditors who have not registered their e-mail IDs with the Applicant Company. The aforesaid Particulars are being sent to all the Unsecured Creditors, Secured Creditors whose names appear in the record of the Applicant Company as on Thursday, 31st December, 2020;

The Applicant Company has completed dispatch of the aforesaid particulars to its equity shareholders, Secured and Unsecured Creditors on 21st May, 2021.

Copy of the Scheme, the Notices and the documents accompanying the Notices including the Explanatory Statement as per Section 102 read with Sections 230, 232 of the Act is available on the website of the Company at https://www.cebbco.com/investor and on the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and also on the website of Share Transfer Agent of the Company viz. Kfin Technologies Private Limited (herein after referred to as 'KFin') at https://evoting.kfintech.com

Copies of the Notice, scheme and the statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 (Act) read with under section 230-232of the Act can be obtained free of charge within 1 (one) working day on a requisition being so made for the same by the Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company at the registered office of the Applicant company on all working days between 10.30 a.m. to 12.30 p.m., or at the office of its authorized representative Shri. Chetan Patel at 301, Akshar Stadia, Opp. Symphony House, B/H Armieda Cosmetic Centre, Off S.G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad-380059.

Voting at the aforementioned Meetings shall take place through e-voting facility made available during the Meetings (held through VC/OAVM). Additionally, for the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors, the facility of voting through remote e-voting is being made available prior to the said Meetings.

The NCLT has appointed Ms. Vineeta Shriwani, Independent Director of the Applicant Company and failing her, Mr. M.V. Raja Rao Independent Director of the Applicant Company as Chairperson of the Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company.

FURTHER NOTICE is hereby given that:

1. The Applicant Company has provide the facility through remote e-voting and e-voting during the relevant meetings (Insta Poll) so as to enable the Equity Shareholder, Secured creditors, Unsecured Creditors to consider and approve the scheme. The Applicant Company has engaged the service of KFin Tech, for facilitating remote e-voting and e-voting during the respective meetings (Insta Poll) services.

2. Voting period for remote e-voting made available to Equity Shareholders, Secured creditors, Unsecured Creditors prior to the Meetings, which commences on Tuesday, June 22, 2021(9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, June 24, 2021 (5.00 p.m. IST). The e-voting model shall be disabled by KFin Tech for voting thereafter and the Equity Shareholder, Secured creditors, Unsecured Creditors will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

3. Equity Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depository Participants ("DPs") /Registrar and Transfer Agents ('RTAs") are requested to get their e-mail IDs registered with their concerned DPs in respect of shares held in demat mode and with RTA in respect of shares held in physical mode, by writing to them. Alternatively, Equity Shareholders who have not registered their e-mail IDs are required to send an email request to https://evoting.kfintech.com along with the following documents for procuring user ID and password for e-voting for there solutions set out in the Notice as follows:

Physical Holding	Folio no., Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card, self-attested scanned copy of Aadhar Card
Demat Holding	Please provide DPID-Client ID(8 digit DPID+8 digit Client ID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card, self-attested scanned copy of Aadhar Card.

4. Voting rights of the Member shall be in proportion to their share holding of the paid up share capital of the Applicant Company as on the close of business hours on Friday, June18, 2021 ('Cut-offdate'). A person/entity who is not a Member on the Cut-off date will not been titled to vote at the Equity Shareholders' Meeting and should treat this Notice for information purpose only.

5. Since the Equity Shareholders Meeting is being held through VC/OAVM, in line with the said MCA Circulars, the facility to appoint a proxy to attend and cast vote for the member will not be available for the said meeting. However, in terms of the provisions of Sections 112 and 113 of the Act read with the said MCA Circulars, Corporate Members are entitled to appoint their authorised representatives to attend the Equity Shareholders Meeting through VC/OAVM on their behalf and participate thereat, including cast votes by electronic means. For details corporate members are requested to refer 'General Instructions for Shareholders' provided in the Notice of the Equity Share holders Meeting.

6. With respect to the Secured Creditors' and Unsecured Creditors Meeting, only a person/entity who is recorded as a Secured Creditor and Unsecured Creditor of the Company as on December 31, 2020 shall be entitled to vote at the Secured Creditors' Meeting and Unsecured Creditors Meeting. Voting rights of the Secured Creditors and Unsecured Creditors shall be in proportion to the outstanding amount due to them from the Company as on December 31, 2020.

7. Secured and Unsecured Creditors shall be provided the facility to cast their vote through e-voting during the Secured and Unsecured Creditors' Meeting. Secured and Unsecured Creditors are requested to carefully read and follow the instructions mentioned in the Notice of the meeting to cast their votes through e-voting during the Secured and Unsecured Creditors' Meeting and to attend the said meeting through VC/OAVM.

8. During the voting period the Equity Shareholder, Secured creditors, Unsecured Creditors may opt for only one mode for voting i.e. either through remote e-voting or e-voting during the respective meetings (Insta Poll). If an Equity Shareholder, Secured creditors, Unsecured Creditors casts their vote(s) by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote(s) cast at the Meeting shall be treated as 'INVALID'. Equity Shareholder, Secured Creditors, Unsecured Creditors who have cast their vote through remote e-voting may attend the respective meetings but shall not be entitled to cast their vote again.

9. Facility to join the aforesaid respective Meetings will be opened thirty minutes before the scheduled time of the Meeting and will be kept open throughout the proceedings of the Meetings.

10. In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the Companies Act, the Scheme shall be acted upon only if a majority in persons representing three fourths in value of the members, secured creditors, unsecured creditors, of the Applicant Company, voting in person through VC/ OAVM or remote e-voting, approve the Scheme. In terms of the SEBI circular dated March 10, 2017 and bearing reference number CFD/DIL3/CIR/2017/21 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Scheme of arrangement shall be acted upon only if the votes cast by the public shareholders in favour of the proposal are more than the number of votes cast by the public shareholders against it.

11. CS Sonam Agarwal (Membership No. A46428 C.P. No. 16978) a Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the e-voting during the Meeting (Insta Poll) and remote e-voting process in a fair and transparent manner; The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on the website of the Company on or before close of business hours on 27th June 2021. i.e. www.cebbco.com, KFin i.e. https://evoting.kfintech.com, stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the depositories. Subject to, and in compliance with the directions / notifications, issued by the Central / State Government(s) / relevant authorities on account of COVID-19 pandemic, the Company will also display the results at its Registered office.

12. For any queries with respect to the above meetings / resolutions, may be addressed to the Company Secretary of the company at cs@cebbco.com or alternatively at +91-761- 2661336 or at registered office by hand delivery.

13. Further in case of any queries/grievance in relation to e-voting or meeting, please visit Help and FAQs section available at KFin Tech website https://evoting.kfintech.com. or please contact Mr. Shyam Kumar, Senior Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032Telephone No. +91 40 67161568 or send an email at shyam.kumar@kfintech.comor at evoting@kfintech.com, Toll Free No:1800-309-4001

The Scheme, if approved in the aforesaid Meetings, will be subject to the subsequent approval of the NLCT and such other approvals, permissions and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

Dated this 23rd day of May 2021

SD/-
Ms. Vineeta Shriwani
DIN-08095170
Chairperson appointed for the meeting of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company

सेबी को सैट का तगड़ा झटका

एनएसई के को-लोकेशन मामले में छह हजार करोड़ रुपए पर रोक हटाई

मुंबई। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी को इसकी अपीलेट बॉडी सैट ने तगड़ा झटका दिया है। सैट ने एनएसई के को-लोकेशन के मामले में छह हजार करोड़ रुपए की डिपॉजिट पर रोक हटा दी है। सैट ने कहा कि एनएसई इस पैसे का उपयोग कर सकता है। यह पैसा पिछले पांच सालों से पड़ा हुआ है। सैट ने इसी हफ्ते एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में इसने एनएसई को इस पैसे का उपयोग करने की मंजूरी दे दी। यह छह हजार करोड़ रुपए एक अकाउंट में लॉक था। इस लॉक का आदेश सेबी ने दिया था। सितंबर 2016 में सेबी ने एनएसई से कहा था कि वह को-लोकेशन के जरिए हासिल किए गए छह हजार करोड़ रुपए को रेवेन्यू को एक अलग अकाउंट में जमा कराए। इस फंड को एनएसई को उपयोग करने पर रोक लगी थी। 31 मार्च 2021 तक यह रकम 6085 करोड़ रुपए थी। 2019 में सेबी ने एनएसई के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया। इसमें कहा गया कि एनएसई 625 करोड़ रुपए जमा कराए। इसके खिलाफ भी एनएसई ने सैट में अपील की है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। सैट ने अपनी सुनवाई में कहा कि सेबी के 2016 के आदेश में सुधार की जरूरत है। सैट ने कहा कि जब जांच पूरी हो गई है तो जो अलग से अकाउंट खोला गया था, जिसमें छह हजार करोड़ रुपए हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए।

सेबी को पहले भी लगे झटके

वैसे सेबी को सैट का यह पहला झटका नहीं है। कई मामलों में सैट ने सेबी को जमकर लताड़ लगाई है। पर सेबी तो अब यहां तक कहता है कि सैट कोई संवैधानिक संस्था है ही नहीं। पिछले दिनों ही कार्वी और एक्सिस बैंक के मामले में सैट ने सेबी को जमकर लताड़ा था। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की हरकतों से तंग आकर इसकी अपीलेट बॉडी सैट ने सुप्रीमकोर्ट में सेबी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई ट्रिब्यूनल रेगुलेटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करे। मामले की सुनवाई हुई तो सेबी ने इसमें कानूनी दांव खेलना शुरू कर दिया। सेबी ने एक एफिडेविट देकर कहा कि सैट के अंदर दो ज्यूडिशियल सदस्य और एक टेक्निकल सदस्य होना चाहिए। टेक्निकल सदस्य 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। सेबी ने कहा कि जब तक टेक्निकल सदस्य नहीं होगा, हम सैट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। सैट ने कहा कि सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार सरकार का है और यह सरकार जब करेगी तब करेगी। लेकिन इससे हमारे फैसले पर कोई असर नहीं होना चाहिए।

राशि का इस्तेमाल कर सकता है एनएसई

सैट ने कहा कि जो भी पैसा है, उसका उपयोग एनएसई अपने बिजनेस के लिए कर सकता है। सैट ने कहा कि वह को-लोकेशन मामले में जून में सुनवाई करेगी। यह मामला 2019 से सैट में लंबित है। सैट ने मार्च 2020 में इस मामले को रिजर्व रखा था और उसके बाद कोरोना शुरू हो गया था। इसकी वजह से ट्रिब्यूनल का फंक्शन रुक गया था। सैट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 11 जून को होगी। एनएसई को वित्त वर्ष 2021 में 4464 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है जो एक साल पहले की तुलना में 76 फीसदी ज्यादा है। एनएसई ने कहा कि सेबी ने जो पैसे अटका रखे हैं, उसकी वजह से वह डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। यदि सैट इस पर से रोक हटाता है तो वह डिविडेंड देने के बारे में सोच सकता है। उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त कैश नहीं है जिससे वह डिविडेंड दे पा रहा है।

एक्सप्रेस न्यूज

एसजेवीएन ने सौर परियोजना हासिल की

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एसजेवीएन ने उत्तर प्रदेश के जालौन में 75 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना हासिल की है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एसजेवीएन ने कहा कि ग्रिड से जुड़ने वाली इस परियोजना से उत्पादित बिजली उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी खरीदेगी। यह खरीद 2.68 रुपए प्रति यूनिट पर 25 साल के लिये की जाएगी। बयान के अनुसार ऐसजेवीएन को 75 मेगावाट क्षमता की सौर बिजली परियोजना के लिये आशय पत्र मिल गया है। कंपनी ने यह परियोजना यूपीएनईडीए की शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये हासिल की है। परियोजना उत्तर प्रदेश में जालौन के परासन में लगायी जाएगी। बयान के अनुसार, एसजेवीएन ने 2.68 रुपए प्रति यूनिट किलोवाट प्रति घंटा की बोली लगाई। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये यूपीएनईडीए नोडल एजेंसी है।

टीसीएस 100 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाएगी

नई दिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस देशभर में 100 से अधिक कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित करेगी। साथ ही कंपनी अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को टीका लगाने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं के साथ समझौता भी करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श कंपनी ने कहा कि उसने अपने कई परिसरों में टीकाकरण अभियान शुरू भी कर दिया है और मई के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टीसीएस ने कहा, हम अपने सहयोगियों और उनके परिजनों का टीकाकरण के लिए समर्थन करते रहे हैं। टीकाकरण के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ गठजोड़ कर रहे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर के पार

मुंबई । देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे सप्ताह बढ़ता हुआ 590 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 14 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 56.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 590.03 अरब डॉलर पर पहुंच गया जो 15 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। इससे पहले सात मई को समाप्त सप्ताह में यह 1.44 अरब डॉलर बढ़कर 589.47 अरब डॉलर पर रहा था। केंद्रीय बैंक ने बताया कि 14 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 37.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 546.87 अरब डॉलर पर रहा। इस दौरान स्वर्ण भंडार भी 17.4 करोड़ डॉलर की बढ़त के साथ 36.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि एक करोड़ डॉलर बढ़कर पांच अरब डॉलर पर और विशेष आहरण अधिकार 20 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 1.51 अरब डॉलर पर रहा।

साउथ इंडिया बैंक का शुद्ध लाभ घटा

नई दिल्ली । साउथ इंडिया बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 6.79 करोड़ रुपए रहा। निजी क्षेत्र के इस बैंक को पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 143.69 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। बैंक ने दिसंबर 2020 में समाप्त तीसरी तिमाही में 91.62 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। एसआईबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी कुल आय 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में 10.4 प्रतिशत गिरकर 2098.25 करोड़ रुपए रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2341.88 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के 6.97 प्रतिशत तक बढ़ने के साथ बैंक की संपत्ति स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। पिछली वर्ष की इसी अवधि में बैंक का एनपीए 4.98 फीसदी था।

डेहरिया ने साझा किया माउंट एवरेस्ट का अनुभव

मुंबई। अपने जीवन के सुनहरे दिन को याद करते हुए मध्य प्रदेश की पर्वतारोही भावना डेहरिया मिश्रा ने 22 मई 2019 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का अविस्मरणीय अनुभव साझा किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखने से लेकर उसे हकीकत में बदलने तक के अपने सफर के बारे में साझा करते हुए भावना ने कहा कि सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए सबसे गर्व का क्षण था। इससे मुझे बहुत खुशी हुई की मेरी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों ने मेरे देश को गौरवान्वित किया है। चार साल की अंतहीन मेहनत के बाद 22 मई 2019 को मैंने अपने सपने को सच होते देखा।जब मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हूं, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। भावना जो अब सिर्फ पर्वतारोही ही नहीं बल्कि एक मां भी हैं। वह दोनों जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही हैं। वह कहती हैं, मैंने पहली बार अपने स्कूल के दिनों में छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के एक छोटे से आदिवासी बहुल इलाके में चढ़ाई शुरू की थी।

कोविड की मार से बचा टॉप कंपनियों का मुनाफा

मुनाफे और जीडीपी का अनुपात दे रहा मजबूती जारी रहने के संकेत

नई दिल्ली । कोविड19 के चलते भले ही देश में आर्थिक गतिविधियां घटी हों, लेकिन लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा खासा बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में इनका मुनाफा जीडीपी के मुकाबले चार साल में सबसे ज्यादा 2.6 फीसदी पर पहुंच गया। मार्च तिमाही में देश की टॉप 200 कंपनियों का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर दोगुने से ज्यादा हो गया।

इसमें साइकलिकल तरीके का कारोबार करने वाली कंपनियों के शानदार वित्तीय प्रदर्शन का बड़ा हाथ रहा है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2020 में लिस्टेड कंपनियों के नेट प्रॉफिट और जीडीपी का अनुपात दो दशक के सबसे निचले स्तर 1.8 फीसदी पर आ गया था। ऐसे में वित्त वर्ष 2021 के दौरान इस अनुपात में हुई बढ़ोतरी बताती है कि कोविड की मार सबसे ज्यादा अनलिस्टेड या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर की कंपनियों के कारोबार पर पड़ी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नोट के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट और जीडीपी का अनुपात बढ़ने की अहम वजह यह है कि कोविड से सबसे ज्यादा चोट अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर पर पड़ी है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लीजर, ट्रैवल और रिटेल सेक्टर की कंपनियों को हुआ है, जिनका वजन निफ्टी इंडेक्स में बहुत कम है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि आने वाले समय में लिस्टेड कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा रहेगी। इसके चलते वित्त वर्ष 2023 में भी लिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट और जीडीपी के अनुपात में इजाफा होगा। कोविड की दूसरी लहर के बीच भी निफ्टी कंपनियों के प्रॉफिट में ठोस बढ़ोतरी हो सकती है। बाजार के अनुमान के मुताबिक, कुछ कम, तो कुछ ज्यादा मुनाफे के साथ कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजे संतुलित रहे हैं। ग्लोबल मेल्टडाउन से पहले वित्त वर्ष 2008 में लिस्टेड कंपनियों के मुनाफे और जीडीपी का अनुपात सबसे ज्यादा 7.8 फीसदी रहा था। लेकिन उसमें तब से लगातार कमी आ रही है।

अक्टूबर से लागू होंगे टायर से जुड़े नए नियम

रेटिंग सिस्टम वाले होंगे टायर

नई दिल्ली । जल्द ही आपकी कार से जुड़े कुछ नए नियम लागू होने वाले है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कारों, बसों और ट्रकों के टायर के लिए सड़क पर आवर्ती-घर्षण, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और वाहन के चलते समय टायर से होने वाली आवाज के बारे में नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया है। नए नियमों के तहत आने वाले दिनों में टायरों की भी स्टार रेटिंग और लेबलिंग होगी। नए नियमों से पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल के टायरों को सड़क पर सुरक्षा मिलेगी और साथ ही तेल की भी बचत होगी। नए मॉडलों के लिए टायरों से जुड़ा ये नियम एक अक्टूबर 2021 से लागू होगा। वहीं मौजूदा कारों के टायरों के लिए इसे एक अक्टूबर 2022 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑटो इंडस्ट्री के विशेषज्ञों की मानें तो इस नए नियम से लोगों की यात्रा पहले से भी अधिक आरामदायक हो जाएगी। स्टार रेटिंग लाने का मकसद यह सुनिश्चित कराना है कि वाहनों के टायर अधिक भरोसे मंद और अच्छे हों।

अभी क्या हैं नियम

मौजूदा समय में बहुत सारी कंपनियां टायर के बिजनस में हैं। टायरों की गुणवत्ता के लिए नियम है, लेकिन इससे ग्राहकों को यह नहीं पता चलता कि उन्हें कौन सा टायर खरीदना चाहिए। यानी यह नियम लोगों को टायर खरीदने में मददगार साबित नहीं होता है। ऐसे में सरकार टायरों के लिए स्टार रेटिंग ला रही है, जिससे टायर खरीदने का फैसला आसानी से लिया जा सके। हाल ही में सिएट कंपनी ने टायरों के लिए लेबल सिस्टम शुरू किया है, जिससे किसी भी ग्राहक को कार के लिए टायर खरीदने में मदद मिलती है। सरकार कारों की क्वालिटी को हर पैमाने पर बेहतर बना रही हैं, क्योंकि भारत अब ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे नियमों की जरूरत पड़ेगी।

एफएमसीजी कंपनियां घटा रहीं उत्पादन

कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात ने किया मजबूर

मुंबई । कई बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनियां अपना प्रॉडक्शन घटा रही हैं। जिन प्रॉडक्ट्स के उत्पादन में कटौती की जा रही है, उनमें रोजमर्रा की जरूरत के सामान भी शामिल हैं। एफएमसीजी कंपनियों के इस कदम के पीछे वजह है बड़ी रिटेल चेन्स, ई-कॉमर्स कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से परिचालन संबंधी समस्याओं के चलते ऑर्डर्स में कमी। इन समस्याओं में लास्ट माइल वर्कर्स का संक्रमित होना, स्टोर के खुलने की सीमित टाइमिंग्स और कम डिमांड शामिल हैं। कोविड की वजह से कई कर्मचारियों के छुट्टी पर होने के चलते ऑनलाइन रिटेलर्स और बड़ी स्टोर चेन्स की ओर से स्टॉक को फिर से भरने में देरी हो रही है। वहीं ग्राहकों की ओर से मांग में भी कमी आई है। भारत की सबसे बड़ी बिस्किट मेकर कंपनी पार्ले प्रॉडक्ट्स कुछ क्लाइंट्स के लिए प्रॉडक्शन पहले ही रोक चुकी है और मॉडर्न रिटेल व ई-कॉमर्स चैनल्स के लिए उत्पादन 35-40 फीसदी घटा चुकी है। पार्ले प्रॉडक्ट्स में सीनियर कैटेगरी हेड कृष्णराव बुद्ध का कहना है कि हमें उम्मीद है कि यह एक अस्थायी हालात हैं और संक्रमण की दर गिरने पर स्थिति में सुधार होगा। इमामी के डायरेक्टर हर्षा वी अग्रवाल के मुताबिक, कोविड19 की दूसरी लहर का असर विभिन्न कैटेगरीज पर पड़ा है, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी। हालांकि इससे हेल्थ और हाइजीन कैटेगरी बची हुई हैं।

सरकारी स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य 4842 रु तय, 24 मई को खुलेगा

नई दिल्ली। केंद्र ने सरकारी स्वर्ण बांड की दूसरी श्रृंखला के तहत निर्गम मूल्य 4842 रु प्रति ग्राम तय किया है। बांड अभिदान के लिये 24 मई से 28 मई के बीच खुलेगा। बांड निर्गम जारी की तिथि एक जून 2021 रखी है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 की पहली श्रृंखला के लिए निर्गम मूल्य 4777 रु तय किया था, जो 17 मई से पांच दिनों तक निवेश के लिए खोला गया था। सरकार ने मई से सितंबर 2021 तक छह किश्तों में बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकारी स्वर्ण बांड 2021-22 अभिदान के लिए 24 मई से 28 मई के बीच खुलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 12 मई, 21 को अधिसूचना जारी कर सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2021-22 श्रृंखला 6 किश्तों में जारी करने की घोषणा की थी। बयान के अनुसार सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से ऑनलाइन आवेदन करने वाले और डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रु प्रति ग्राम छूट का फैसला लिया है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4792 रु होगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से बॉन्ड जारी करेगा। आरबीआई बॉन्ड का मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम तीन कारोबारी दिनों में बंद भाव के औसत के आधार पर तय करता है।

प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ा, कच्चे तेल का घटा

नई दिल्ली। देश में प्राकर्तिक गैस उत्पादन अप्रैल में 22.7 प्रतिशत बढ़कर 2.65 अरब घन मीटर पहुंच गया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह बढ़ोतरी रिलायंस इंड. और सहयोगी बीपी पीएलसी द्वारा उत्पादन बढ़ाने से हुई है। निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों द्वारा संचालित गैस क्षेत्रों में उत्पादन तीन गुना बढ़कर 71.08 करोड़ घन मीटर हो गया। वही सरकारी कंपनी ओएनजीसी और आयल इंडिया द्वारा कम उत्पादन किए जाने के कारण अप्रैल में कच्चे तेल का उत्पादन दो प्रतिशत घटकर 24.9 लाख टन पर रहा। तेल रिफाइनरियों ने हालांकि, पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में 35 प्रतिशत अधिक यानी 1.98 करोड़ टन कच्चे तेल को संसाधित किया है।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड छिन्दवाड़ा

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा जारी करने का दिनाक 20.05.2021

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रकिया ई–प्रोक्युरमेंट ई–टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टलhttp://WWW.mptenders.gov.in पर आमंत्रित है निविदाओ हेतु निविदा प्रपत्र डाउनलोड /क्रय करने की दिनांक 20 मई 2021 समय 02.00 बजे से प्रारंभ है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का नाम– छिंदवाड़ा जिले के खण्ड छिंदवाडा अधीनस्थ विकासखण्ड मोहखेड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विद्यमान स्थापित)नलजल योजनाओ (ग्राम तिवडा कामथ एवं मैनीखापा में क्रमशः 50 एवं 100 कि.ली. क्षमता 12 मीटर ऊचाईयुक्त आर.सी.सी.टंकी निर्माण कार्य,विभिन्न प्रकार एवं व्यास के पाईप लाईन बिछाने एवं जोडने, रेडीमेट मिनी पंप हाउस,बिक मेसोनरी वाल्व चेम्बर, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पावर पंप स्थापना, विद्युतिकरण तथा रेट्रोफिटिंग कर शतप्रतिशत घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम शुद्ध पेयजल व्यवस्था समस्त आवश्यक सामग्री सहित कार्य, पूर्ण होने के पश्चात 90दिन ट्रायल–रन कमिशनिंग कार्य। (As per BOQ)

ई–टेण्डरिंग कमांक	निविदा कमांक दिनांक	विकास खंड	अनु. लागत (रू. लाख) में	अमानत राशि रूपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये	निविदा प्रपत्र कय करने की अंतिम तिथि समय	निविदा खोलने की नियत दिनांक	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की समय अवधि
2021-PHED-143063-1	12/2021-22 20.05.2021	मोहखेड	247.77	247770	15000	05.06.2021 5.30 PM	07.06.2021 1.00 PM	नवीन कन्द्रीकृत पद्धति पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	6 माह वर्षाकाल सहित

निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क, केश–कार्ड,ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैकिंग एकाउंट के माध्यम से उपरोक्त बेवसाइड पर भुगतान कर केवल ऑनलाईन पर ही कय किए जा सकते है।

विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईड पर देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा
कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
छिंदवाड़ा म.प्र.

G-12670/21

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

कामर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कं. लिमिटेड
CEBBCO ...bodies in motion...
सीआईएन : L28100MP1979PLC049375
रजि.ऑफिसः 48, वंदना विहार, नर्मदा रोड, गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.) इंडिया–482001

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
अहमदाबाद में इंदौर पीठ के समक्ष
सी.ए. (सीएए)/8 (एमपी) 2021

निम्न के संबंध में

उपरोक्त अधिनियम के कंपनीज एक्ट, 2013 – धारा 230 से 232 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम

एवं

कामर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कं. लिमिटेड, जिसका सीआईएन L28100MP1979PLC049375, कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 48, वंदना विहार, नर्मदा रोड, गोरखपुर, जबलपुर–482001, मध्य प्रदेश में है।

... आवेदक/ स्थानांतरी/ एकीकृत कंपनी

एवं

ज्युपिटर वेगन्स लिमिटेड, जिसका सीआईएन CINU35202WB2006PLC110822, कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 4/2, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल में है।

... आवेदक/ स्थानांतरी/ एकीकृत कंपनी

असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार एवं इक्विटी शेयरधारक की मीटिंग के नोटिस की सूचना एवं विज्ञापन

दिनाँक 16 अप्रैल, 2021 के एक आदेश द्वारा सूचना दी जाती है कि, नेशनल कंपनी लश्व ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद में इंदौर पीठ ('एनसीएलटी') इस बिंदु पर विचार हेतु कि आवेदक कंपनी के असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार एवं इक्विटी शेयरधारक की पृथक मीटिंग आयोजित की जाये, एवं यदि इसे उपयुक्त पाते हों तो कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 230–232 एवं इसके अंतर्गत निर्मित अन्य अन्य लागू प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत (यहाँ बाद में, ''**स्कीम**'') के अनुसार कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कं. लिमिटेड एवं ज्यूपिटर वेगन्स लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संशोधनों के साथ या बिना एकीकरण की योजना में प्रस्तावित प्रबंधन का लक्ष्य।

उपरोक्त आदेश एवं कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) सपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2014 के लागू प्रावधानों के अनुसार एवं संचालन प्रक्रियाओं (आवश्यक संशोधनों सहित) सपठित जनरल सर्कुलर नं. 14/2020 दिनाँक 8 अप्रैल, 2020, नं. 17/2020 दिनाँक 13 अप्रैल, 2020, नं. 22/2020 दिनाँक 15 जून, 2020, नं. 33/2020 दिनाँक 28 सितंबर, 2020 एवं नं. 39/2020 दिनाँक 31 दिसंबर, 2020 (यहाँ आगे बतौर **'एमसीए 'सर्कुलर'** संदर्भित) एवं सर्कुलर नं- SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated January 15, 2021 (यहाँ आगे बतौर **'सेबी द्वारा जारी सर्कुलर'** संदर्भित) आदेश के अनुसार एवं जैसा कि निदेशित है, यहाँ आगामी सूचना दी जा रही है कि आवेदक कंपनी के असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार एवं इक्विटी शेयरधारकों की पृथक मीटिंग 25 जून, 2021, शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेन्सिग ('वीसी') एवं अन्य ऑडियो वीडियो माध्यम ('ओएवीएम') के द्वारा निम्न दर्शाये विवरण अनुसार एक निश्चित स्थान पर बिना भौतिक उपस्थिति के होगी।

क्र. सं.	मीटिंग की श्रेणी	समय (भारतीय मानक समय)
1	सुरक्षित लेनदार	प्रातः 11 बजे
2	असुरक्षित लेनदार	दोपहर 1 बजे
3	इक्विटी शेयरधारक	दोपहर 3 बजे

नोटिस दिनांक 15 मई, 2021, योजना और धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधान कंपनी के नियम 6 के साथ पठित (समझौता, व्यवस्थाएं) और समामेलन) नियम, 2016 और सूचकांक में दर्शाए गए संलग्नकों के साथ (सामूहिक रूप से ''विवरण'' के रूप में संदर्भित) पहले से ही (i) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन इक्विटी शेयरधारकों को भेजे जा चुके हैं जिनकी ई–मेल आईडी आवेदक कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत हैं; और (ii) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से, भौतिक रूप से, उन इक्विटी शेयरधारकों को, जिन्होंने आवेदक कंपनी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। उपरोक्त विवरण उन सभी इक्विटी शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं जिनके नाम शुक्रवार, 26 फरवरी, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में लाभकारी मालिकों की सूची में शामिल हैं। यदि इक्विटी शेयरधारकों की ई–मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत नहीं हैं, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस नोटिस में नीचे दिए गए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

उपरोक्त विवरण (i) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन असुरक्षित लेनदारों, सुरक्षित लेनदारों को भेजे जा रहे हैं जिनकी ई–मेल आईडी आवेदक कंपनी के साथ पंजीकृत हैं; और (ii) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से, भौतिक रूप से, उन असुरक्षित लेनदारों, सुरक्षित लेनदारों को, जिन्होंने आवेदक कंपनी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। उपरोक्त विवरण सभी असुरक्षित लेनदारों, सुरक्षित लेनदारों को भेजे जा रहे हैं जिनके नाम गुरुवार, 31 दिसंबर, 2020 को आवेदक कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं:

आवेदक कंपनी ने 21 मई, 2021 को अपने इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों को पूर्वोक्त विवरणों का प्रेषण पूरा कर लिया है।

योजना की प्रति, नोटिस और नोटिस के साथ दस्तावेज, जिसमें धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण शामिल हैं, अधिनियम की धारा 230, 232 के साथ कंपनी की वेबसाइट https://www.cebbco.com/investor पर उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर, और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट की अर्थात Kfin Technologies Private Limited (इसके बाद 'KFin' के रूप में संदर्भित) वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनीज एक्ट, 2013 (अधिनियम) सपठित अधिनियम की धारा 230–232 की धारा 102 के अंतर्गत नोटिस, स्कीम एवं विवरण की छायाप्रतियाँ आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्यदिवसों में प्रातः 10.30 से दोपहर 12.30 के मध्य असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार एवं इक्विटी शेयरधारकों की माँग पर 1 (एक) कार्यदिवस के भीतर निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधित्वकर्ता श्री चेतन पटेल से 301, अक्षर स्टेडिया, सिम्फनी हाऊस के सामने, बी/एच अर्मीडा कॉस्मेटिक सेंटर, एस.जी. हाईवे, बोडकदेव, अहमदाबाद–380059 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों में मतदान बैठक के दौरान उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सुविधा (वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित) के माध्यम से होगी। इसके अतिरिक्त, इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के लिए, उक्त मीटिंग्स से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

एनसीएलटी ने आवेदक कंपनी की स्वतंत्र निदेशक, कु. विनीता श्रीवानी को एवं उनके उपस्थित न रह पाने पर आवेदक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री एम. वी. राजा राव को आवेदक कंपनी के असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार एवं इक्विटी शेयरधारकों के बतौर चेयरपर्सन नियुक्त किया है।

इसके द्वारा अतिरिक्त सूचना दी जाती है कि:

1. आवेदक कंपनी ने संबंधित मीटिंग्स (इंस्टा पोल) के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के माध्यम से सुविधा प्रदान की है ताकि इक्विटी शेयरधारक, सुरक्षित लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों को योजना पर विचार और अनुमोदन करने में सक्षम बनाया जा सके। संबंधित बैठकों (इंस्टा पोल) सेवाओं के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की सुविधा के लिए आवेदक कंपनी ने KFin Tech की सेवा प्राप्त की हैं।

2. मीटिंग्स से पूर्व इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों को रिमोट ई–वोटिंग के लिए उपलब्ध कराई गई वोटिंग अवधि, जो मंगलवार, 22 जून, 2021 (सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय) प्रारंभ होगी और गुरुवार, 24 जून, 2021 (5.00 बजे भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए KFin Tech द्वारा ई–वोटिंग मॉडल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इक्विटी शेयरधारक, सुरक्षित लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (''डीपी'') / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि शेयरों के संबंध में धारित शेयरों के संबंध में डीमैट मोड में और भौतिक मोड में आरटीए को लिखकर अपने संबंधित डीपी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करवाएं। वैकल्पिक रूप से, इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें ई–वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ https://evoting.kfintech.com पर ईमेल अनुरोध भेजने की आवश्यकता है। नोटिस इस प्रकार है:

फिजिकल होल्डिंग	फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी
डीमैट होल्डिंग	कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (8 अंक डीपीआईडी + 8 अंक क्लाइंट आईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करें।

4. सभी सदस्य के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, जून 18, 2021 (''कट–ऑफडेट'') को कारोबारी समय की समाप्ति पर आवेदक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में होंगे। व्यक्ति/इकाई ऑफ जो कट–ऑफ डेट को सदस्य नहीं हैं, उसे इक्विटी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में वोट देने के लिए अधिकार नहीं दिया जाएगा और इसे केवल सूचना के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।

5. चूंकि इक्विटी शेयरधारक बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, उक्त बैठक में भाग लेने और सदस्य के लिए वोट डालने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, उक्त एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 112 और 113 के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने सहित कॉर्पोरेट सदस्य अपनी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और कलाकारों सहित उसमें भाग लेने के हकदार हैं। विवरण के लिए कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे इक्विटी शेयर धारकों की बैठक की सूचना में दिए गए शेयरधारकों के लिए सामान्य निर्देश देखें। इक्विटी शेयरधारक मीटिंग के लिये सूचना।

6. सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के संबंध में, केवल एक व्यक्ति / संस्था जो 31 दिसंबर, 2020 को कंपनी के एक सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार के रूप में दर्ज है, सुरक्षित लेनदारों की मीटिंग में और असुरक्षित लेनदारों की मीटिंग में मतदान करने की हकदार होगी सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के वोटिंग अधिकार 31 दिसंबर, 2020 तक कंपनी की ओर से उन्हें देय बकाया राशि के अनुपात में होंगे।

7. सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के दौरान सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए बैठक की सूचना में उल्लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उक्त बैठक में भाग लें।

8. मतदान की अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारक, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार मतदान के लिए केवल एक ही माध्यम का विकल्प चुन सकते हैं अर्थात या तो रिमोट ई–वोटिंग या संबंधित मीटिंग्स (इंस्टापोल) के दौरान ई–वोटिंग। यदि कोई इक्विटी शेयरधारक, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार दोनों माध्यमों से अपना वोट डालते हैं, तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट मान्य होगा और बैठक में डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा। इक्विटी शेयरधारक, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे संबंधित बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन वे पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

9. उक्त संबंधित मीटिंग्स में शामिल होने की सुविधा मीटिंग के निर्धारित समय से तीस मिनट पूर्व प्रारंभ होंगी और मीटिंग की पूरी कार्यवाही के दौरान शामिल होने की सुविधा होगी।

10. कंपनी अधिनियम की धारा 230–232 के प्रावधानों के अनुसार, योजना पर तभी कार्रवाई की जाएगी, जब आवेदक कंपनी के सदस्यों, सुरक्षित लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों की कुल संख्या में से तीन चौथाई प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में बहुमत, मतदान वीसी/ओएवीएम या रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से योजना को मंजूरी दें। सेबी परिपत्र दिनांक 10 मार्च, 2017 और संदर्भ संख्या CFD/DIL3/CIR/2017/21 (किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, व्यवस्था की योजना पर कार्रवाई की जाएगी केवल तभी जब सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए वोट सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा इसके खिलाफ डाले गए वोटों की संख्या से अधिक हों।

11. सीएस सोनम अग्रवाल (सदस्यता संख्या ए46428 सीपी संख्या 16978) एक कार्यरत कंपनी सचिव को मीटिंग (इंस्टा पोल) के दौरान ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है; स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ परिणाम भी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.cebbco.com, KFin यानी https://evoting.kfintech.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर 27 जून 2021 को या उससे पहले व्यावसायिक घंटों के समापन पर पोस्ट किए जाएंगे। COVID-19 महामारी के कारण केंद्र / राज्य सरकार / संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों / अधिसूचनाओं के अधीन और अनुपालन में, कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय में भी परिणाम प्रदर्शित करेगी।

12. उपरोक्त बैठकों / प्रस्तावों के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कंपनी के कंपनी सचिव को cs@cebbco.com पर या वैकल्पिक रूप से +91-761-2661336 पर या पंजीकृत कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

13. इसके अतिरिक्त ई–वोटिंग या मीटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया KFin Tech वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध सहायता और सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग पर जाएं। या कृपया श्री श्याम कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 टेलीफोन नंबर +91 40 67161568 से संपर्क करें या shyam.kumar@kfintech.com या evoting@kfintech.com पर, टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001 पर एक ईमेल भेजें।

योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो एनएलसीटी के बाद के अनुमोदन और इस तरह के अन्य अनुमोदनों, नियामकों या अन्य प्राधिकरणों की अनुमतियों और प्रतिबंधों के अधीन होगी, जैसा भी आवश्यक हो।

तिथि : 23 मई, 2021

हस्ता/–
कु. विनीता श्रीवानी
डीआईएन–08095170
आवेदक कंपनी के असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार
एवं इक्विटी शेयरधारकों की मीटिंग के बतौर चेयरपर्सन नियुक्त किया है